

वन्य जीवन लाइसेंसिंग नयिम 2024

प्रलिस के लयि:

वन्य जीवन (संरक्षण) लाइसेंसिंग (वचार के लयि अतरिकित मामले) नयिम, 2024, वन्यजीव संरक्षण अधनियिम, 1972, CITES

मेन्स के लयि:

वन्यजीव संरक्षण, वन्यजीव संरक्षण अधनियिम 1972 में शामिल सफलता और चुनौतियौं, वन्य जीवन लाइसेंसिंग नयिम

[स्रोत: डाउन टू अर्थ](#)

चर्चा में क्यौं?

केंद्र सरकार ने हाल ही में वन्यजीव व्यापार नयिम, 1983 में संशोधन करते हुए वन्य जीवन (संरक्षण) लाइसेंसिंग (वचार के लयि अतरिकित मामले) नयिम, 2024 पेश कयिा, जसिके परणामस्वरूप लाइसेंस प्रक्रयिा में महत्त्वपूर्ण बदलाव हुए और कुछ प्रजातयौं को बाहर रखा गया।

- संशोधन 16 जनवरी, 2024 को लागू हो गए, जो वर्ष 1983 के बाद पहला संशोधन था।

वन्य जीवन लाइसेंसिंग नयिम 2024 क्या हैं?

- अनुसूची-I:**
 - वर्ष 1983 में प्रकाशित नयिमों में कहा गया है कि केंद्र सरकार के पछिले परामर्श के अलावा, वन्यजीव संरक्षण अधनियिम, 1972 की अनुसूची-I या अनुसूची-II के भाग-II में नरिदषिट वन्यजीवों के व्यापार के लयि ऐसा कोई लाइसेंस नहीं दयिा जाएगा।
 - इस शर्त को नए दशिा-नरिदेशों में बदल दयिा गया है, जसिमें कहा गया है कि केंद्र सरकार के पछिले परामर्श के अलावा, ऐसा कोई लाइसेंस नहीं दयिा जाएगा यदयिह अधनियिम की अनुसूची-I में नरिदषिट कसिी वन्यजीवों से संबंधित है।
 - इसका तात्पर्य यह है कि अनुसूची-I प्रजातयौं पर प्रतबिंध, जसिमें अत्यधिक सुरक्षा की आवश्यकता वाले जानवर शामिल हैं, जैसे कभीघ, हाथी, गँडे आदि परामर्श के प्रावधान के साथ अभी भी लागू हैं।
- अनुसूची-II:**
 - नए दशिा-नरिदेशों में महत्त्वपूर्ण बदलाव वन्यजीव संरक्षण अधनियिम, 1972 की अनुसूची-II में सूचीबद्ध प्रजातयौं के लयि लाइसेंसिंग प्रतबिंधों को हटाना है।
 - इसका तात्पर्य यह है कि अनुसूची-II प्रजातयौं में व्यापार के लयि लाइसेंस केंद्र सरकार से कसिी परामर्श या अनुमोदन के बनिा दयिा जा सकते हैं, जो पहले आवश्यक था।
- लाइसेंसिंग में वचार कयि जाने वाले कारक:**
 - नए नयिम उन कारकों को भी नरिदषिट करते हैं जनि पर अधिकृत अधिकारयौं को लाइसेंस देते समय आवेदक की क्षमता, आपूर्ति प्राप्त करने का स्रोत और तरीका, क्षेत्र में मौजूदा लाइसेंस की संख्या तथा संबंधित वन्यजीवों के शकिार करने या व्यापार करने पर वचार करना चाहयि।

नये नयिमों को लेकर क्या चतिाएँ हैं?

- अनुसूची-II प्रजातयौं का बहषिकार:**
 - अधसिूचना इस बात पर स्पष्टता प्रदान नहीं करती है कि अनुसूची-II प्रजातयौं के लयि लाइसेंसिंग प्रतबिंध क्यौं हटा दयि गए हैं।
 - अनुसूची-II में लुप्तप्राय स्तनधारी, पक्षी, कछुए, गेको और साँप जैसी महत्त्वपूर्ण प्रजातयौं शामिल हैं तथा लाइसेंसिंग प्रतबिंधों से उनका बहषिकार उन्हें मलने वाली सुरक्षा के स्तर के बारे में चतिा पैदा करता है।
 - स्पष्टता की कमी के कारण यह सुनिश्चित करने के लयि और अधिक जाँच की आवश्यकता है कि संशोधित नयिम संरक्षण आवश्यकताओं को पर्याप्त रूप से संबोधित करते हैं तथा अनजाने में कमज़ोर वन्यजीवों की सुरक्षा से समझौता नहीं करते हैं।

■ वर्ष 2022 में अनुसूचियों को युक्तसंगत बनाना:

- वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूचियों को [वन्य जीवन \(संरक्षण\) संशोधन अधिनियम, 2022](#) में तर्कसंगत बनाया गया, जिससे प्रजातियों के वर्गीकरण में बदलाव आया।
- वर्ष 2022 से पहले, संशोधन **कार्यक्रम प्रजातियों के खतरे के स्तर पर आधारित** थे। हाल के युक्तसंगतीकरण ने प्रजातियों को वर्गीकृत करने के मानदंडों को बदल दिया है।
 - विशेषज्ञ प्रश्न करते हैं कि क्या अनुसूची-II में कुछ प्रजातियों का बहिष्कार तर्कसंगतकरण प्रक्रिया के अनुरूप है और क्या उन प्रजातियों की संख्या में वास्तव में वृद्धि हुई है, जो संरक्षण के नचिले स्तर को उचित ठहराते हैं।

वन्यजीव व्यापार की स्थिति:

- भारत एक जैवविविधता वाला देश है, जहाँ दुनिया की लगभग **6.5% ज्ञात वन्यजीव प्रजातियाँ** पाई जाती हैं। विश्व के लगभग **7.6% स्तनधारी** और विश्व के **12.6% पक्षी** भारत में पाए जाते हैं।
 - विश्व स्तर पर वन्यजीवों और इसके उत्पादों की अवैध मांग के कारण पूरे उपमहाद्वीप में वन्यजीव अपराध में वृद्धि देखी गई है।
- भारत में वन्यजीव व्यापार में **नेवले के बाल, साँप की खाल, गैंडे के सींग, बाघ और तेंदुए के पंजे, हड्डियाँ, खाल, मूँछें, हाथी के दाँत, हरिण के सींग, कछुए के खोल, औषधीय पौधे, लकड़ी तथा पजिरे में बंद पक्षी जैसे तोता, मैना** सहित विविध उत्पाद शामिल हैं।
 - इस व्यापार का एक बड़ा हिस्सा **अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिये** है और भारत में इसकी कोई सीधी मांग नहीं है।
- भारत **वन्यजीव तस्करी** के लिये शीर्ष 20 देशों में से एक है और हवाई मार्ग से वन्यजीव तस्करी के लिये **शीर्ष 10 देशों में से एक है**।
- **डुरगस और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय** द्वारा विश्व वन्यजीव रिपोर्ट 2020 में देखा गया कि वर्ष 1999 और 2018 के बीच, विश्व स्तर पर वनस्पतियों और जीवों की **6,000 विभिन्न प्रजातियों की पहचान** की गई थी।

वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 क्या है?

■ परिचय:

- वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 **वन्य प्राणियों और पादपों की विभिन्न प्रजातियों के संरक्षण**, उनके आवासों के प्रबंधन, जंगली जानवरों, पौधों तथा उनसे बने उत्पादों के व्यापार के विनियमन एवं नियंत्रण के लिये एक कानूनी ढाँचा प्रदान करता है।
- यह अधिनियम उन **पादपों एवं जीवों की अनुसूचियों** को भी सूचीबद्ध करता है जिन्हें सरकार द्वारा अलग-अलग स्तर की सुरक्षा तथा नगिरानी प्रदान की जाती है।
- इससे पहले जम्मू-कश्मीर वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के दायरे में नहीं आता था। लेकिन अब **पुनर्रगठन अधिनियम** के परिणामस्वरूप भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम **जम्मू-कश्मीर और लद्दाख** पर लागू होता है।

■ नवीनतम संशोधन:

- वन्यजीव (संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2022:
 - अनुसूचियों की संख्या पहले के छह से घटाकर चार कर दी गई है।
 - **अनुसूची-I** में वे पशु प्रजातियाँ शामिल हैं जिन्हें सर्वाधिक संरक्षण की आवश्यकता है।
 - **अनुसूची-II**, इस सूची के अंतर्गत आने वाले जानवरों को भी उनके संरक्षण के लिये उच्च सुरक्षा प्रदान की जाती है।
 - **अनुसूची-III**, इसमें **संरक्षित पौधों की प्रजातियाँ** शामिल हैं।
 - **अनुसूची-IV** में **CITES (वन्य जीवों एवं वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर अभिसमय)** के तहत अनुसूचित प्रजातियाँ शामिल हैं।

आगे की राह

- **अनुसूची-I की प्रजातियों** के लिये परामर्श और अनुमोदन प्रक्रिया के लिये एक **सुदृढ़ तथा पारदर्शी तंत्र** स्थापित करना एवं संबंधित हतिधारकों की भागीदारी व प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना।
- परामर्श तथा अनुमोदन प्रक्रिया से अनुसूची-II की प्रजातियों के बहिष्कार एवं प्रजातियों के चयन के मानदंडों के लिये **एक्सपर्ट तथा तर्कसंगत सपष्टीकरण** प्रदान करना।
- **वन्यजीव व्यापार कानूनों तथा विनियमों के प्रवर्तन एवं अनुपालन** को सुदृढ़ करना और उल्लंघनकर्ताओं के लिये दंड व पालन करने वालों के लिये प्रोत्साहन प्रदान करना।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

[?/?/?/?/?/?/?/?/?/?]:

प्रश्न. यदि किसी पौधे की वशिष्ट जात को वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम, 1972 की अनुसूची-VI में रखा गया है, तो इसका क्या तात्पर्य है? (2020)

- (a) उस पौधे की खेती करने के लिये लाइसेंस की आवश्यकता है ।
(b) ऐसे पौधे की खेती किसी भी परस्थिति में नहीं हो सकती ।
(c) यह एक आनुवंशिकित: रूपांतरित फसली पौधा है ।
(d) ऐसा पौधा आक्रामक होता है और पारलित्त्र के लिये हानिकारक होता है ।

उत्तर: (a)

??????:

प्रश्न. भारत में जैवविविधता कसि प्रकार अलग-अलग पाई जाती है? वनस्पतजात और प्राणीजात के संरक्षण में जैवविविधता अधनियम, 2002 कसि प्रकार सहायक है? (2018)

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/wild-life-licensing-rules-2024>

